Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

मांगीलाल आदि बनाम जगदीश आदि

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.एक्ट

न. मुकदमा 2548/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.12.2021	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्रीकुलदीप गोड़ द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ते की होकर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात् वकील प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर इकतरफा बहस सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने बहस द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया । पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थीगण के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में आरजीतौर पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण रोही ग्राम जैतपुर बी खसरा नम्बर 944/2 की 24.10 बीघा खातेदारी भूमि में आगामी तारीख पेशी तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करें। यह आदेश DILRMP एवं भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि, रास्ता एवं रोडा एक्ट से प्रभावी भूमि के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। इसमें यदि अप्रार्थीगण को कोई उज्र या ऐतराज हो तो नियत पेशी को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 27.01.2022 को पेश हो। [signature]	
27.01.22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। पक्षकारों को मध्य आपसी समझाइश एवं राजीनामे [illegible] प्रार्थना पत्र विड्रोल करने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र विड्रोल स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र बाबत विड्रोल स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र बाबत [illegible] पर प्रार्थना पत्र बाबत मनाई निषेधाज्ञा [illegible] किया जाता है। पत्रावली जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है। [illegible] निर्णय में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 15:23:01 IST
Reason: SelfAttested